रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 28(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) इन नियमों के अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 अगस्त 2012 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन वर्ग I अधिकारी को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1अगस्त, 2012 या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई वर्ग I अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमें वह इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से इन नियमों के उपबंधों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, तो निगम आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार चयनित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए ऐसे अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा।

परंतु यह और कि ऐसे अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1 अगस्त, 2012 से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग I अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :-

"4. वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान.- वर्ग I अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होंगे: -

(1) (i) क्षेत्रीय प्रबंधक (ii) मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद	(क) सामान्य वेतनमान 89095-2685(8)-110575 रूपए (ख) चयन वेतनमान 99835-2685(2)-105205- 2880(1)-108085-3150(1)-111235-3265(4)-124295 रूपए
(2) (i) उप क्षेत्रीय प्रबंधक / वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (ii) उप मुख्य इंजीनियर / उप मुख्य वास्तुविद	79605-2300(3)- 86505-2590(6)-102045 रूपए
(3) (i) मंडल प्रबंधक (ii) अधीक्षण इंजीनियर/ वरिष्ठ संकर्म सर्वेक्षक / वरिष्ठ वास्तुविद	65805-2300(9)-86505 रूपए
(4) (i) सहायक मंडल प्रबंधक/ वरिष्ठ शाखा प्रबंधक (ii) कार्यपालक इंजीनियर/ संकर्म सर्वेक्षक / उप वरिष्ठ वास्तुविद	53725-1610(1)-55335-1745(6)-65805-2300(4)-75005 रूपए
(5) (i) प्रशासनिक अधिकारी / शाखा प्रबंधक (ii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर/ सहायक संकर्म सर्वेक्षक/वास्तुविद	44065-1610(7)-55335-1745(6)-65805 रूपए
(6) (i) सहायक प्रशासनिक अधिकारी / सहायक शाखा प्रबंधक (ii) सहायक इंजीनियर/ सहायक वास्तुविद	32795-1610(14)-55335-1745(4)-62315 रूपए

टिप्पण: विभिन्न क्रम संख्यांकों के अधीन प्रविष्टि (ii) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के संबंध में पृथक वरिष्ठता सूची रखी जाएगी"।

3. मूल नियमों के नियम 5 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

'(1) वर्ग -I अधिकारी को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा : -

(क) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

(ख) आधार: 1960 = 100 की श्रृखला में सूचकांक सं 4708

(ग) दर: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4708 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए वर्ग I अधिकारी को वेतन के 0.10 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण. – इस खंड के प्रयोजनार्थ, "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, जिससे इन नियमों के नियम 4 क के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित है।';

(ख) उपनियम (2) में "2944 प्वाइंट से ऊपर होने पर 2944-2948-2952-2956" अंको और शब्दों के स्थान पर "4708 प्वाइंट से ऊपर होने पर 4708-4712-4716-4720" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

'(1) वर्ग I अधिकारी का, सिवाए उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा :-

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
(1)	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगावं, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य शहर।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 5320/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(2)	ऊपर (1) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 4490/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(3)	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, अधिकतम 4320/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, –

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित होंगी ; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां और नियम 9क के अधीन नियत वैयक्तिक भत्ता ।' ।

5. मूल नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

'7. नगर प्रतिकारात्मक भता.- वर्ग I अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भता निम्नलिखित होगा :

क्रम सं.	तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)
(i)	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगावं, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य शहर।	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 1330/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(ii)	ऊपर (i) में वर्णित नगरों से भिन्न नगर, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 2.50 प्रतिशत, अधिकतम 1265/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(iii)	वह नगर जिनकी आबादी 5 लाख और उससे अधिक हैं किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पुड्डुचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला नगर।	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 980/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, -

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित हैं; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन और नियम 4क के अधीन मूल वेतन में वृद्धियां।' ।

6. मूल नियमों के नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"7क पर्वतीय स्थान भत्ता.- वर्ग I अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता निम्नलिखित होगा :-

क्रम सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	औसत समुद्री तल से 1500 मीटर तथा अधिक की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 765/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
2.	1000 मीटर से अधिक किंतु 1500 मीटर से कम औसत समुद्री तल से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात, मेरकारा और ऐसे स्थानों में जो केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थान" के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 615/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
3.	औसत समुद्री तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित जो औसत समुद्री तल से 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई की पहाडियों से घिरे हुए है और जहाँ केवल पहाडियों के बीच से ही पहुंचा जा सकता है, स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 615/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए"।

(7) मूल नियमों के नियम 7ख में "300 रूपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "500 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(8) मूल नियमों के नियम 7ग में "680 रूपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "1130 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(9) मूल नियमों के नियम 9ख में "800 रूपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "1330 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(10) मूल नियमों के नियम 9घ में "110 रूपए" अंकों और शब्द के स्थान पर "185 रूपए" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-11012/01/2013-बीमा-I]

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग I अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है। तनुसार, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ग I अधिकारी (सेवा के लिए निबंधनों एवं शर्तों के पुनरीक्षण) नियम, 1985 का संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल नियम भारत सरकार के असाधारण राजपत्र, में सा.का.नि.सं. 794(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. सं. 960(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987; सा.का.नि. सं. 493(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988; सा.का.नि. सं. 872(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988; सा.का.नि. सं. 711(अ), तारीख 25 जुलाई, 1989; सा.का.नि. सं. 816 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1990; सा.का.नि. सं. 324(अ), तारीख 10 मार्च, 1992; सा.का.नि. सं. 53(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994; सा.का.नि. सं. 597(अ), तारीख 30 जून, 1995; सा.का.नि. सं. 94(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996; सा.का.नि. सं. 286(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996; सा.का.नि. सं. 530(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998; सा.का.नि. सं. 612(अ), तारीख 30 अगस्त, 1999; सा.का.नि. सं. 550(अ), तारीख 22 जून 2000; सा.का.नि. सं. 287(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2004; सा.का.नि. सं. 559(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005; सा.का.नि. सं. 305(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2007; सा.का.नि. सं. 631(अ), तारीख 2 सितंबर, 2009; सा.का.नि. सं. 824(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2010, और सा.का.नि. सं. 16(अ), तारीख 8 जनवरी, 2013 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

G.S.R. 28(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely: —

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2012.

(3) These rules shall be applicable to those Class I Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation on or after the 1st August, 2012:

Provided that where any Class I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such officer:

Provided further that the officers whose resignations had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2012 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :-

"4. Scales of Pay of Class I Officers.— The scale of pay of the Class I Officers shall be as under :—

(1)	(i)	Zonal Managers	(a) Ordinary Scale : Rs 89095-2685(8)-110575
	(ii)	Chief Engineers/ Chief Architects	(b) Selection Scale : Rs 99835-2685(2)-105205-2880(1)-108085-3150(1)-111235-3265(4)-124295
(2)	(i)	Deputy Zonal Managers/ Senior Divisional Managers	Rs 79605-2300(3)-86505-2590(6)-102045
	(ii)	Deputy Chief Engineers/ Deputy Chief Architects	
(3)	(i)	Divisional Managers	Rs 65805-2300(9)-86505
	(ii)	Superintending Engineers/ Senior Surveyors of Works/ Senior Architects	
(4)	(i)	Assistant Divisional Managers/ Senior Branch Managers	Rs 53725-1610(1)-55335-1745(6)-65805-2300(4)-75005
	(ii)	Executive Engineers/ Surveyors of Works/ Deputy Senior Architects	
(5)	(i)	Administrative Officers/ Branch Managers	Rs 44065-1610(7)-55335-1745(6)-65805
	(ii)	Assistant Executive Engineers/ Assistant Surveyors of Works/ Architects	
(6)	(i)	Assistant Administrative Officers/ Assistant Branch Managers	Rs 32795-1610(14)-55335-1745(4)-62315
	(ii)	Assistant Engineers/ Assistant Architects	

Note : A separate seniority list shall be maintained in respect of Officers appointed to posts specified in entry (ii) under various serial numbers.".

3. In rule 5 of the principal rules,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(1) The scale of dearness allowance applicable to Class I Officers shall be determined as under:-

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No.4708 in the series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 4708 points, a Class I Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.10 % of Pay.

Explanation.- For the purposes of this clause, "Pay" means the basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under rule 4A of these rules.';

(b) in sub-rule(2), for the figures and words "2944 points in the sequence of 2944-2948-2952-2956", the figures and words "4708 points in the sequence of 4708-4712-4716-4720" shall be substituted .

4. In rule 6 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

'(1) The House Rent Allowance applicable to Class I Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as under:-

Sl. No.	Place of Posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
(1)	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakhs and above.	10% of Pay, subject to the maximum of Rs.5320/- per month.
(2)	Cities with population exceeding 12 lakhs, but less than 45 lakhs and, except those mentioned at Sl. No. (1) and any city in the State of Goa.	8% of Pay, subject to the maximum of Rs. 4490/- per month .
(3)	Other places.	7% of Pay.subject to the maximum of Rs. 4320/- per month

Notes.— for the purpose of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means basic pay, additions to basic pay under Rule 4A and Fixed Personal Allowance under Rule 9A.'.

5. For rule 7 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

'7. City Compensatory Allowance.— The City Compensatory Allowance payable to Class I Officers shall be as under:-

Sl. No.	Place of Posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
(i)	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakhs and above.	3% of Pay, subject to the maximum of Rs.1330/- per month.

(ii)	Cities with population exceeding 12 lakhs, but less than 45 lakhs and, except those mentioned at Sl. No. (i) and any city in the State of Goa.	2.5% of Pay, subject to the maximum of Rs. 1265/- per month .
(iii)	Cities with population of five lakhs and above but not exceeding twelve lakhs, State Capitals with population not exceeding twelve lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, and Panchkula.	2% of Pay.subject to the maximum of Rs. 980/- per month

Note.—for the purposes of this rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means basic pay plus additions to basic pay under rule 4A.'.

6. For rule 7A of the principal rules , the following rule shall be substituted, namely :-

"7A Hill Allowance.— The scales of Hill Allowance payable to Class I Officers shall be as follows :-

Serial Number	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at placed situated at a height of 1,500 meters and over above mean sea level	at the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs.765/- per month
2.	Posted at places situated at a height of 1,000 meters and over but less than 1,500 meters above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as 'Hill Stations' by Central or State Governments for their employees.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.615/- per month
3.	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with height of 1000 meters and over above mean sea level.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.615/- per month".

7. In rule 7B of the principal rules, for the letters and figures "Rs. 300/-" the letters and figure "Rs500/-" shall be substituted.

8. In rule 7C of the principal rules, for the letters and figures "Rs 680/-," the letters and figure "Rs. 1130/-," shall be substituted.

9. In rule 9B of the principal rules, for the letters and figures "Rs.800/-," the letters and figure "Rs.1330/-," shall be substituted.

10. In rule 9D of the principal rules, for the letters and figures "Rs 110/-," the letters and figure "Rs. 185/-," shall be substituted.

[F. No. S-11012/01/2013-Ins. I]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Class I Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note .— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R.794(E), dated the 11th October, 1985 and subsequently amended vide G.S.R.960(E), dated the 7th December, 1987; G.S.R.493(E), dated the 22nd April, 1988; G.S.R.872(E), dated the 22nd August, 1988, G.S.R.711(E), dated the 25th July, 1989; G.S.R.816(E),dated the 11th October, 1990; G.S.R.324(E),dated the 10th March, 1992; G.S.R.53(E),dated the 2nd February, 1994; G.S.R.597(E), dated the 30th June, 1995; G.S.R.94(E),dated the 16th February, 1996; G.S.R.286(E),dated the 18th July, 1996; G.S.R.530(E),dated the 27th August, 1998; G.S.R.612(E),dated the 30th August, 1999; G.S.R.550 (E),dated the 22nd June, 2000; G.S.R.287 (E), dated the 27th April,2004; G.S.R.559(E), dated the 5th September, 2005; G.S.R.305 (E),dated the 25th April,2007; G.S.R. 631 (E),dated the 2nd September, 2009; G.S.R.824(E), dated the 8th October,2010 and G.S.R.16(E), dated the 8th January,2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 29(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

2. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है के सिवाय, ये नियम 1 अगस्त 2012 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह नियम उन विकास अधिकारी को लागू होंगे जो निगम के स्थायी स्थापन में 1 अगस्त, 2012 को या उसके पश्चात पूर्णकालिक वेतन सेवा में थे:

परंतु जहां निगम द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई विकास अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है जिसमें वह इन नियमों के प्रवृत्त होने कि तारीख से अपूर्व और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अपश्चात किसी तारीख से इन नियमों के उपबंधों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, वहां निगम आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा के सकेगा और इस प्रकार विकल्पित तारीख से पूर्व की अवधि के लिए उक्त विकास अधिकारी को कोई बकाया संदेय नहीं होगा:

परंतु यह और कि ऐसे विकास अधिकारी, जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन तारीख 1 अगस्त, 2012 और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के पात्र नहीं होंगे।

3. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण), 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

'ङ "विशेष नियमों" से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तो का पुनरीक्षण) नियम, 2009 अभिप्रेत है। '

4. मूल नियमों के नियम 4 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"(1) 21865-1340(2)-24545-1580(2)-27705-1610(17)-55075"।

5. मूल नियमों के नियम 5 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) विकास अधिकारीयों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रुप से अवधारित किया जाएगा:

(क) सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(ख) आधार : 1960 = 100 की श्रंखला में सूचकांक सं 4708

(ग) दर : अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4708 प्वाइंट के ऊपर त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए विकास अधिकारी को वेतन के 0.10 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.– इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, "वेतन" से मूल वेतन अभिप्रेत है, जिसमें इन नियमों के नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन यथा उपबंधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् मूल वेतन में वृद्धियां भी सम्मिलित है';

(ख) उपनियम (2) में "2944 प्वाइंट सें ऊपर होने पर 2944-2948-2952-2956" अंको और शब्दो के स्थान पर "4708 प्वाइंट सें ऊपर होने पर 4708-4712-4716-4720" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

5. मूल नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) विकास अधिकारी का, सिवाए उनके जिनको निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है, मकान किराया भत्ता निम्नलिखित होगा:

क्रम संख्या	तैनाती का स्थान	मकान किराया भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगावं, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू एवं 45 लाख और उससे ऊपर अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर।	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 5320/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
2.	ऊपर (1) में वर्णित नगरों के सिवाय, 12 लाख से अधिक किंतु 45 लाख से कम जनसंख्या वाले अन्य नगर एवं गोवा राज्य में कोई नगर।	वेतन का 8 प्रतिशत, अधिकतम 4490/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
3.	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, अधिकतम 4320/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण .- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए –

(i) जनसंख्या के आंकड़े नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित है; और

(iii) "वेतन" से अभिप्रेत है मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियत वैयक्तिक भत्ता।'

6. मूल नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'7. नगर प्रतिकारात्मक भता.- विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित होगा :-

क्र. सं.	तैनाती का स्थान	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)
i	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगावं, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू तथा 45 लाख और अधिक की जनसंख्या के अन्य नगर	वेतन का 3 प्रतिशत, अधिकतम 1125/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
Ii	ऊपर (i) में वर्णित नगरों के सिवाय, जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक किंतु 45 लाख से कम है एवं गोवा राज्य में कोई नगर	वेतन का 2.50 प्रतिशत, अधिकतम 1040/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
iii	5 लाख और उससे अधिक किंतु 12 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर, राज्यों की राजधानियां जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक नहीं है, चडीगढ, मोहाली, पुड्डुचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला	वेतन का 2 प्रतिशत, अधिकतम 910/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों मे उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित है; और

(iii) "वेतन" से मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां अभिप्रेत'।

7. मूल नियमों के नियम 7क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"7क. पर्वतीय भत्ता.- विकास अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते के मापमान इस प्रकार होंगे :-

क्रम सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	समुद्री तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 615/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
2.	समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थानों, मेरकारा पर तथा ऐसे स्थानों पर तैनात् जिन्हे विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थानों" के रूप में घोषित किया गया है।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 485/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
3.	समुद्री तल से 750 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर जो समुद्री तल से 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए है और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, तैनात हैं।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम 485/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए।"।

8. मूल नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. साम्यापूर्ण अनुतोष. - भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2016 के नियम 1 के उपनियम (2) या उपनियम (3) में, किसी बात के होते हुए भी, निगम, विकास अधिकारियों की बाबत 1 अप्रैल, 2015 के पूर्व की अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि प्रदान करने के लिए अनुदेशों द्वारा साम्यापूर्ण अनुतोष के रुप में उप नियम (2) में यथा उपबंधित उपबंध कर सकेगा।

(2) 1 अगस्त 2012 से 31 मार्च, 2013, 1 अप्रेल, 2013 से 31 मार्च, 2014 और 1 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष, विशेष नियमों के अधीन मूल्यांकन वर्ष के प्रयोजन के लिए वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नीचे दर्शित किए गए अनुसार होगा :-

(i) 1 अगस्त 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 30 प्रतिशत इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के तुरंत पश्चात् प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए वार्षिक परिलब्धियों के भाग रूप में होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष के 70 प्रतिशत को वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए हिसाब मे नही लिया जाएगा, और

(ii) 1 अप्रेल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 30 प्रतिशत दूसरा उल्लिखित बारह मास की अवधि के उत्तरवर्ती मूल्यांकन वर्ष के बारह मास के लिए वार्षिक परिलब्धियों के भाग रूप में होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष 70 प्रतिशत को वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा, और

(iii) 1 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष का 30 प्रतिशत द्वितीय उल्लिखित बारह मास की अवधि के उत्तरवर्ती मूल्यांकन वर्ष के बारह मास के लिए वार्षिक परिलब्धियों के भाग रूप में होगा और संदत्त साम्यापूर्ण अनुतोष 70 प्रतिशत को वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण .–

(1) शंकाओ को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रेल, 2015 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संबलम उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों का भागरूप होगा ।

(2) निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृंद) नियम, 1960 के नियम 51 के उपनियम (2) के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अगस्त 2012 को या उसके पश्चात् किंतु इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारीयों के रूप में उनकी सेवायों के समाप्त हो जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा और यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधी के लिए कोई साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता है या नही और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निर्बंधन और शर्ते क्या होंगी :

परंतु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष नियम के अधीन समाप्त की गई हैं, साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नही किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए, जहा मूल वेतन इस नियम के अनुसार नियत किय जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे । ”

9. मूल नियमों के नियम 10ग में “110/- रुपए” अंको और शब्दो के स्थान पर “185/- रुपए” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एस-11012/01/2013- बीमा-I]

आलोक टंडन,संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारीयों सेवा के निबंधनों और शर्तो का पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन दे दिया है तदनुसार, अधिसूचना मे यथा विनिर्दिष्ट उन तारीखों से भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तो का पुनरीक्षण), 1986 का संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नही है ।

टिप्पण: भारत का राजपत्र; असाधारण में मूलनियम सा.का.नि.सं. 1091(अ), तारीख 17 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.नि. सं. 962(अ), तारीख 7 दिसंबर, 1987; सा.का.नि. सं. 871(अ), तारीख 22 अगस्त, 1988; सा.का.नि. सं. 968(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1989; सा.का.नि.सं. 825(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 1990; सा.का.नि.सं. 55(अ), तारीख 21 जनवरी, 1992; सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 10 मार्च, 1992; सा.का.नि. सं. 54(अ), तारीख 2 फरवरी, 1994; सा.का.नि. सं. 596(अ), तारीख 30 जून, 1995; सा.का.नि. सं. 95(अ), तारीख 16 फरवरी, 1996; सा.का.नि. सं. 287(अ), तारीख 18 जुलाई, 1996; सा.का.नि. सं. 531(अ), तारीख 27 अगस्त, 1998; सा.का.नि. सं. 551(अ), तारीख 22 जून, 2000; सा.का.नि. सं. 288(अ), तारीख 27 अप्रेल, 2004; सा.का.नि. सं. 560(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005 और सा.का.नि. सं. 825(अ) तारीख 8 अक्तूबर, 2010 द्वारा उनका पश्चात्तवर्ती संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:—

3. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2012.

(3) These rules shall be applicable to those Development Officers who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2012:

Provided that where any Development Officer gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such Officer to be governed by the said rules with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such Development Officer:

Provided further that the Development Officers whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2012 and the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(e) “Special Rules” means the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009’.

3. In rule 4 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) 21865-1340(2)-24545-1580(2)-27705-1610(17)-55075;”.

4. In rule 5 of the principal rules, —

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

‘(1) The scale of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under:

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No.4708 in the series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 4708 points, a Development Officer shall be paid dearness allowance at the rate of 0.10 % of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, “Pay" means basic pay including additions to the basic pay after reaching maximum of the scale as provided under sub-rule (3) of rule 4.’;

(b) in sub-rule(2), for the figures and words "2944 points in the sequence of 2944-2948-2952-2956", the figures and words "4708 points in the sequence of 4708-4712-4716-4720" shall be substituted.

5. In rule 6 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

‘(1) The House Rent Allowance of Development Officers except those who are allotted residential accommodation by the Corporation shall be as under:

Sl. No.	Place of Posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
(1)	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakhs and above.	10% of Pay, subject to the maximum of Rs.5320/- per month.
(2)	Cities with population exceeding 12 lakhs, but less than 45 lakhs and, except those mentioned at Sl. No. (1) and any city in the State of Goa.	8% of Pay, subject to the maximum of Rs. 4490/- per month .
(3)	Other places.	7% of Pay, subject to the maximum of Rs. 4320/- per month

Note.—for the purpose of this sub-rule,

3. the population figures shall be as per the latest Census Report;
4. cities shall include their urban agglomerations; and
5. "pay" means basic pay, additions to basic pay and Fixed Personal Allowance.'.

6. For rule 7 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

'7. City Compensatory Allowance.— The City Compensatory Allowance payable to Development Officers shall be as under:—

Sl. No.	Place of Posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
(i)	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakhs and above.	3% of Pay, subject to the maximum of Rs.1125/- per month.
(ii)	Cities with population exceeding 12 lakhs, but less than 45 lakhs and, except those mentioned at Sl. No. (i) and any city in the State of Goa.	2.5% of Pay, subject to the maximum of Rs. 1040/- per month .
(iii)	Cities with population of five lakhs and above but not exceeding twelve lakhs, State Capitals with population not exceeding twelve lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, and Panchkula.	2% of Pay, subject to the maximum of Rs. 910/- per month

Note.— for the purpose of this rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their agglomerations; and

(iii) "pay" means Basic Pay, Additions to Basic Pay.'.

7. For rule 7A of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :-

"7A Hill Allowance.— The scales of Hill Allowance payable to Development Officers shall be as follows :-

Serial No.	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at placed situated at a height of 1,500 meters and over above mean sea level	at the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs.615/- per month

2.	Posted at places situated at a height of 1,000 meters and over but less than 1,500 meters above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as 'Hill Stations' by Central or State Governments for their employees.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.485/- per month
3.	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with height of 1000 meters and over above mean sea level.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.485/- per month.".

8. For rule 10 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :-

"10. Equitable Relief.— (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 1 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of service) Amendment Rules, 2016, the Corporation may, in respect of Development Officers, by instructions, provide for grant of arrears of salary for the period prior to 1st April, 2015 by way of equitable relief in the manner provided n sub-rule (2).

(2) The equitable relief paid for the period from 1st August, 2012 to 31st March, 2013, from 1st April, 2013 to 31st March, 2014 and 1st April, 2014 to 31st March, 2015 for the purpose of arriving at the annual remuneration for the purpose of appraisal year under the special rules shall be as shown below :-

(i) 30% of the equitable relief paid for the period 1st August, 2012 to 31st March, 2013 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year commencing immediately after the date of publication of these rules and 70% of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration and

(ii) 30% of the equitable relief paid for the period 1st April, 2013 to 31st March, 2014 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year of twelve months period following the first mentioned period of twelve months and 70% of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration, and

(iii) 30% of the equitable relief paid for the period 1st April, 2014 to 31st March, 2015 shall form part of the annual remuneration for the appraisal year of twelve months period following the second mentioned period of twelve months and 70% of the equitable relief paid shall not be taken into account for the purpose of arriving at the annual remuneration

Explanation .-

(1) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on 1st April, 2015 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(2) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under sub-rule(2) of rule 51 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after 1st August, 2012 but before the date of publication of this notification in the Official Gazette, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payments by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and conditions thereof :

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the Special Rules.

(3) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowances and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation.".

9. In rule 10C of the principal rules, for the letters and figures "Rs 110/-," the letters and figure "Rs. 185/-," shall be substituted.

[F. No. S-11012/01/2013-Ins. I]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

(1) The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Development Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

(2) It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R.1091(E), dated the 17th September, 1986 and subsequently amended vide G.S.R.962(E), dated the 7th December, 1987; G.S.R.871(E), dated the 22nd August,1988; G.S.R. 968(E), dated the 7th November, 1989; G.S.R. 825(E), dated the 9th October, 1990; G.S.R. 55(E), dated the 21st January, 1992; G.S.R. 325(E), dated the 10th March, 1992; G.S.R. 54(E), dated the 2nd February, 1994; G.S.R. 596(E), dated the 30th June, 1995; G.S.R. 95(E), dated the 16th February, 1996; G.S.R. 287(E), dated the 18th July, 1996; G.S.R. 531(E), dated the 27th August, 1998; G.S.R. 551(E), dated the 22nd June, 2000; G.S.R. 288(E), dated the 27th April,2004; G.S.R. 560(E), dated the 5th September, 2005 and G.S.R.825(E), dated 8th October, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 30(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2016 है।

(2) इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ये नियम 1 अगस्त 2012 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) ये नियम उन वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों को लागू होंगे जो 1 अगस्त, 2012 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्ण कालिक वैतनिक सेवा में थे :

परंतु जहाँ कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी, उस तारीख के जो उस तारीख से पूर्व की नहीं होगी जिसको उक्त नियम प्रवर्तन में आते हैं और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद की नहीं होगी, इन नियमों के उपबंधो द्वारा शासित होने के अपने विकल्प को व्यक्त करते हुए निगम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम को लिखित में एक सूचना देगा, तब निगम, आदेश द्वारा, ऐसे कर्मचारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने के लिए अनुमति दे सकेगा और इस प्रकार चुनी गई तारीख से पूर्व अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को कोई भी बकाया संदेय नहीं होगा:

परंतु यह और कि ऐसे वर्ग 3 या 4 का कर्मचारी जिसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था या 1 अगस्त, 2012 से भारत के राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम

(कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, पुनरीक्षण मद्दे बकायों का पात्र नहीं होगा।

(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई कर्मचारी उन अतिकालिक मजदूरियों से जिनके लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पूर्व वह हकदार था, अधिक अतिकालिक मजदूरी का दावा करने का हकदार नहीं बनेगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 4 में -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्न उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग 3 के कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे.-

उच्चतर श्रेणी सहायक:	21655-1445(3)-25990-1610(15)-50140 रूपये
आशुलिपिक:	18135-1030(4)-22255-1195(2)-24645-1455(3)-29010-1510(2)-32030-1610(8)-44910 रूपए
सहायक, गृहिता और संदायकर्ता रोकडिया के रूप में नियुक्त सहायक, प्रोजेक्सनिस्ट तथा माइक्रोप्रोसेसर प्रचालक:	14435-840(1)-15275-915(2)-17105-1030(5)-22255-1195(2)-24645-1455(3)-29010-1510(2)-32030-1610(5)-40080 रूपए
अभिलेख लिपिक:	13380-475(4)-15280-745(3)-17515-840(2) -19195-850(6)-24295-915(6)-29785 रूपये";

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रवर्ग के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे.-

(अ) उच्चतर श्रेणी सहायक जो आंतरिक लेखा परीक्षा सहायकों के रूप में नियुक्त किए गए: -

(क) प्रथम पांच वर्ष के लिए – 1080 रूपए प्रति मास

(ख) आगामी पांच वर्ष के लिए - 1230 रूपए प्रति मास

(ग) पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए - 1330 रूपए प्रति मास

(आ) सहायक जो गृहीता और संदायकर्ता रोकडिया के रूप में नियुक्त किए गए है – 2500 रूपए प्रति मास ; परंतु यह भत्ता महंगाई भत्ते, भविष्य निधि उपदान, मकान किराए भत्ते, पेंशन, विशेषाधिकार छुट्टी को भुनाने के लिए संगणना के प्रयोजन के लिए गणना में नही लिया जाएगा और इसे प्रोन्नति पर वेतन के नियत करने के लिए गणना मे नही लिया जाएगा|";

(ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :-

" वृतिमूलक भत्ता वर्ग 3 काडर के कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को संदत्त किया जाएगा-

(अ) बांडा, डुप्लिकेटिग और झेरोक्स मशीन प्रचालक जो अभिलेख लिपिक के वेतनमान में है- 150 रूपए प्रति मास

(ब) माईक्रोप्रोसेसर प्रचालक जो सहायकों के वेतनमान में हैं – 285 रूपए प्रति मास

(स) प्रोग्रामर जो उच्चतर श्रेणी सहायकों के वेतनमान में हैं – 900 रूपए प्रति मास:

परंतु विद्यमान वर्ग 3 का कर्मचारी, जो 31 जुलाई, 2012 को कोई वृत्तिमूलक भत्ता प्राप्त कर रहा है, उसे तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उस पद पर बना रहता है जिस पर वृत्तिमूलक भत्ता मिलता है, भविष्य में मजदूरी के पुनरीक्षण पर आमेलित कर लिया जाएगा" ।

3. मूल नियमों के नियम 6 में, –

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"(1) वर्ग 4 के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे .-

ड्राइवर :	13380-600(6)-16980-620(1)-17600-745(12)-26540 रूपये
सिपाही, हमाल, प्रधान-चपरासी, लिफ्ट मैन तथा चौकीदार	11660-475(5)-14035-505(8)-18075-600(1)-18675-620(2)-19915-745(3)-22150 रूपये
झाडूकस और सफाईवाले :	11060-475(5)-13435-505(8)-17475-600(6)-21075 रूपये" ।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात : -

"(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतनमानों के अतिरिक्त.-
(क) निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारी नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे जिसे सभी प्रयोजनों के लिए मूल वेतन के रूप में गिना जाएगा:
प्रधान चपरासी, लिफ्ट मैन तथा चौकीदार- 985 रूपए प्रति मास
(ख) फ्रैंकिंग मशीन प्रचालकों को जो सिपाही के वेतनमान में हैं, 120 रूपए प्रति मास का वृत्तिमूलक भत्ता संदत्त किया जाएगा"।

4. मूल नियमों के नियम 8 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा:

(क) सूचकांक: औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

(ख) आधार: 1960 के क्रम में सूचकांक सं 4708 = 100।
(ग) दर: अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4708 प्वाइंट के ऊपर तिमाही औसत में प्रत्येक चार प्वाइंट के लिए, वर्ग 3 य वर्ग 4 के कर्मचारी को वेतन के 0.10 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता संदाय किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए "वेतन" से अभिप्रेत है-

(i) मूल वेतन ;

(ii) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन में वृद्धियां;

(iii) नियम 6 के उपनियम (2) (क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता;

(iv) नियम 19 क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता; और

(v) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परिक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम 1988 के नियम 2 य नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता।";

(ख) उपनियम (2) में, "2944-2948-2952-2956 के क्रम में 2944 प्वाइंटस" अंकों और शब्दों के स्थान पर "4708-4712-4716-4720 के क्रम में 4708 प्वाइंटस" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(1) वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों, उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें निगम द्वारा आवास आबंटित किया गया है, का मकान किराया भत्ता इस प्रकार होगा:

क्र. संख्या	**तैनाती का स्थान**	**मकान किराया भत्ते की दरें**
(1)	**(2)**	**(3)**
(1)	मुंबई कोलकाता , चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगाव , नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू, और 45 लाख तथा अधिक जनसंख्या के अन्य शहर	वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 5320/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(2)	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और उपर क्रम संख्या (1) में वर्णित किसी नगर के सिवाय तथा गोवा राज्य में कोई नगर	वेतन का 8 प्रतिशत, न्यूनतम 1000/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 4490/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
(3)	अन्य स्थान	वेतन का 7 प्रतिशत, न्यूनतम 950/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 4320/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

टिप्पण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिये,–

(iv) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(v) नगरों में उनकी नगर बस्तियां सम्मिलित है; और

(vi) "वेतन" से अभिप्रेत है

(क) नियम 7 में निर्दिष्ट मूल वेतन में वृद्धियों सहित मूल वेतन;

(ख) नियम 6 के उपनियम (2) (क) में निर्दिष्ट विशेष भता;

(ग) नियम 19क में यथाउपबंधित सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमान में संदेय स्नातक भत्ता;

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परिक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम 1988 के नियम 2य नियम 4 में निर्दिष्ट विशेष भत्ता;

(ङ) नियम 19घ के अधीन उपबंधित नियत वैयक्तिक भत्ता।"।

6. मूल नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -

"10.नगर प्रतिकरात्मक भता.- वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्न प्रकार होगा :

क्र. सं.	**तैनाती का स्थान**	**नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दरें**
(1)	(2)	(3)
i.	मुंबई कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुडगावं, नवी मुंबई, हैदरावाद, बैंगलुरू एवं 45 लाख तथा अधिक की जनसंख्या के अन्य शहर	वेतन का 3 प्रतिशत, न्यूनतम 345/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 1055/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
ii.	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक और 45 लाख से कम है और ऊपर क्रम संख्या (i) में वर्णित नगरों को छोड़कर तथा गोवा राज्य में कोई नगर	वेतन का 2.5 प्रतिशत, न्यूनतम 285/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 990/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

iii.	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक हैं किंतु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की ऐसी राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चडीगढ, मोहाली, पुड्डुचेरी, पोर्टब्लेयर और पंचकुला	वेतन का 2 प्रतिशत, न्यूनतम 210/- रूपए प्रतिमास और अधिकतम 850/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए

परंतु जहाँ कोई वर्ग 3 या वर्ग 4 का कर्मचारी, 1 अप्रैल 1983 से ठीक पूर्व नगर प्रतिकरात्मक भत्ता के रूप में 20 रू प्रतिमास की रकम प्राप्त कर रहा है वहाँ ऐसा कर्मचारी भविष्य में मजदूरी पुनरीक्षण में आमेलित किए जाने के लिए उक्त रकम तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उसी स्थान पर तैनात रहता है।

टिप्पण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) जनसंख्या के आंकडे नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार होंगे;

(ii) नगरों में उनकी शहरी जनसंख्या सम्मिलित होगी; और

(iii)"वेतन" से वर्ग 4 के कर्मचारियों को नियम 7 में निर्दिष्ट संदेय मूल वेतन, मूल वेतन में वृद्धियां और नियम 6 के उपनियम (2) (क) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता अभिप्रेत है।"।

7. मूल नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"11. पर्वतीय स्थान भत्ता.- वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता के मापमान निम्न प्रकार होंगे: -

क्र. सं.	**स्थान**	**दर**
(1)	(2)	(3)
1.	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात	मूल वेतन का 2.50 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 615/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
2.	औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों, मेरकारा पर और ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए "पर्वतीय स्थानों" के रूप में घोषित किया गया है।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 615/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए
3.	समुद्र तल से 750 मीटर से अन्यून ऊंचाई पर स्थित कि ऐसे स्थानों पर जो समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए है और उन्हीं पर्वतों में होकर वहां तक पहुंचा जा सकता हैं , तैनात है।	मूल वेतन का 2 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 485/- रूपए प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए"।

8. मूल नियमों के नियम 19क के उपनियम (ख) में,-

(i) खंड (i) में " 320/- रूपये" अंकों और अक्षर के स्थान पर "535/- रूपये" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ii) के उपखंड (क) में, "530/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "1000/- रूपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ii) के उपखंड (ख) में, "270/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "510/- रूपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) खंड (ii) के उपखंड (ग) में, "530/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "1000/- रूपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

9. मूल नियमों के नियम 19ङ में "275/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "460/- रूपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

10. मूल नियमों के नियम 19च में "110/- रूपए" अंकों और अक्षर के स्थान पर "185/- रूपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस-11012/01/2013-बीमा-I]

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के पुनरक्षित करने के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से अनुमोदन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी अधिकारी (सेवा के लिए निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण) नियम, 1985 को तदनुसार अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट इन तारीखो से संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई कर्मचारी पर अधिसूचना द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि.सं.357(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि.सं. 18(अ), तारीख 7 जनवरी,1986; सा.का.नि.सं. 1076 (अ), तारीख 11 सितंबर, 1986; सा.का.नि.सं. 961 (अ), तारीख 7 दिसम्बर 1987; सा. का.नि.सं. 870(अ), और. 873 (अ), दोनों तारीख 22 अगस्त 1988; सा.का.नि.सं. 515(अ), तारीख 12 मई 1989; सा. का. नि. सं. 509 (अ), तारीख 24 मई 1990; सा. का.नि.सं. 620 (अ), तारीख 6 जुलाई, 1990 और सा.का.नि.सं. 628 (अ), तारीख 10 जुलाई,1990; सा.का.नि.सं. 338(अ), तारीख 11 जुलाई,1990; सा.का.नि.सं. 697अ),तारीख 25 नवम्बर 1991; सा.का.नि.सं. 46(अ), और. 47(अ), दोनों तारीख 4 फरवरी 1993; सा.का. नि.सं.746(अ), तारीख 13 दिसम्बर 1993; सा.का.नि.सं. 55(अ), तारीख 2 फरवरी 1994; सा. का.नि.सं. 595(अ), तारीख 30 जून 1995; सा.का.नि.सं. 669(अ), तारीख 27 सितंबर 1995; सा.का.नि.सं. 102(अ), तारीख 22 फरवरी 1996; सा.का.नि.सं. 261(अ), तारीख 22 मई 1998;सा.का.नि.सं. 532(अ), तारीख 27 अगस्त 1998; सा.का.नि.सं. 445(अ), तारीख 18 जून 1999; सा.का.नि.सं. 611(अ), तारीख 30 अगस्त 1999; सा.का.नि.सं. 552(अ), तारीख 22 जून 2000; सा.का.नि.सं. 289(अ), तारीख 27 अप्रैल 2004; सा.का.नि.सं. 561(अ), तारीख 5 सितंबर 2005; सा.का.नि.सं. 306(अ), तारीख 25 अप्रैल 2007; सा.का.नि.सं.72 (अ), तारीख 6 दिसम्बर 2008 और सा.का.नि.सं. 826 (अ), तारीख 8 अक्टूबर 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

G.S.R. 30(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely:—

4. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class-III and Class-IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.

(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2012.

(3) These rules shall be applicable to those Class III and Class IV employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2012:

Provided that where any Class-III or Class-IV employee gives a notice in writing to the Corporation, within a period as specified by the Corporation, expressing his option to be governed by the provisions of these rules from a date not earlier than the date on which the said rules come into force and not later than the date of publication of this notification in the Official Gazette, then the Corporation may, by order, permit such employee to be governed by the said rule with effect from the said date and no arrears for the period prior to the date so opted shall be payable to such employee:

Provided further that the Class III or Class IV employees whose resignation had been accepted or whose services had been terminated under Rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August, 2012 to the date of publication of this notification in the Official Gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

(4) Nothing contained in these rules shall entitle an employee to claim overtime wages higher than what he had been entitled to prior to the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4,—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scales of pay of Class III employees shall be as under.—

Higher Grade Assistants	: Rs. 21655-1445(3)-25990-1610(15)-50140
Stenographers	: Rs.18135-1030(4)-22255-1195(2)-24645-1455(3)-29010-1510(2)-32030-1610(8)-44910
Assistants, Assistants Appointed as Receiving and Paying Cashiers Projectionists and Microprocessor Operators	: Rs. 14435-840(1)-15275-915(2)-17105-1030(5)-22255-1195(2)-24645-1455(3)-29010-1510(2)-32030-1610(5)-40080
Record Clerks	: Rs. 13380-475(4)-15280-745(3)-17515-840(2)-19195-850(6)-24295-915(6)-29785";

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule (1) the following categories of employees shall receive a special allowance to the extent specified below.—

(A) Higher Grade Assistants appointed as Internal Audit Assistants

(a)	For the first five years -	Rs.1080/- per month
(b)	For the next five years -	Rs.1230/- per month
(c)	For the subsequent years-	Rs.1330/- per month

(B) Assistants appointed as receiving and paying Cashiers -Rs.2500/- per month:

Provided that this allowance shall not count for the purpose of calculation of Dearness Allowance, Provident Fund, Gratuity, House Rent Allowance, Pension, Encashment of PL and it shall not count for fixation of Salary on promotion.";

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Functional Allowance shall be paid to the following categories of Employees in Class III cadre.—

(a) Banda, Duplicating and Xerox Machine Operators in the scale of Pay of Record Clerks: - Rs.150/- per month

(b) Microprocessor Operators in the scale of Assistants: - Rs.285/- per month

(c) Programmers in the scale of pay of Higher Grade Assistants: - Rs.900/- per month

Provided that an existing Class-III employee who is in receipt of any Functional Allowance as on the 31st day of July, 2012 shall continue to draw the same so long as he is holding the post to which the Functional Allowance is attached, to be absorbed in future wage revision.".

3. In rule 6 of the principal rules,—

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scales of pay of Class-IV subordinate employees shall be as under.—

Drivers	:	Rs. 13380-600(6)-16980-620(1)-17600-745(12)-26540
Sepoys, Hamals Head Peons, Liftmen and Watchmen	}	Rs. 11660-475(5)-14035-505(8)-18075-600(1)-18675-620(2)-19915-745(3)-22150
Sweepers and Cleaners	:	Rs. 11060-475(5)-13435-505(8)-17475-600(6)-21075.":

(b) for sub-rule(2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) In addition to the scales of pay specified in sub-rule(1).—

(a) following categories of employees shall receive special allowance to the extent specified below, which shall count as a basic pay for all purposes:

Head Peons, Liftmen and Watchmen – Rs.985/- per month.

(b) franking Machine Operators in the scale of Sepoy shall be paid a Functional Allowance of Rs.120/- per month.".

4 . In rule 8 of the principal rules,—

(c) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The scale of Dearness Allowance of Class III and Class IV employees shall be determined as under:-

(a) Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

(b) Base : Index No.4708 in the series 1960=100.

(c) Rate : For every four points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 4708 points, a Class III or a Class IV employee shall be paid dearness allowance at the rate of 0.10 % of Pay.

Explanation.- For the purpose of this clause "Pay" means -

(i) the basic pay;

(ii) additions to basic pay referred to in rule 7;

(iii) special allowance referred to in sub-rule (2)(a) of rule 6;

(iv) Graduation Allowance payable to the employees in the scale of pay of Assistants and Stenographers as provided in rule 19A; and

(v) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988.";

(d) in sub-rule(2), for the figures and words "2944 points in the sequence of 2944-2948-2952-2956", the figures and words "4708 points in the sequence of 4708-4712-4716-4720" shall be substituted .

5. In rule 9 of the principal rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

'(1) The House Rent Allowance of Class III and Class IV employees except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation, shall be as under:-

Sl. No.	Place of Posting	Rate of House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
(1)	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakhs and above.	10% of Pay, subject to the minimum of Rs.1165/- per month and the maximum of Rs.5320/- per month.
(2)	Cities with population exceeding 12 lakhs, but less than 45 lakhs and, except those mentioned at Sl. No. (1) and any city in the State of Goa.	8% of Pay, subject to the minimum of Rs. 1000/- per month and the maximum of Rs. 4490/- per month .
(3)	Other places.	7% of Pay.subject to the minimum of Rs. 950/- per month and the maximum of Rs. 4320/- per month

Note .— for the purpose of this sub-rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii) "pay" means-

(a) basic pay including additions to basic pay referred to in rule 7;

(b) special allowance referred to in sub-rule(2) (a) of rule 6;

(c) graduation allowance payable in the scale of pay of Assistant and Stenographers as provided in rule 19A;

(d) special allowance referred to in rule 2 or rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Class-III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988;

(e) Fixed Personal Allowance provided under rule 19D.'.

6. For rule 10 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

'10. City Compensatory Allowance.—The City Compensatory Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as under:-

Sl. No.	Place of Posting	Rate of City Compensatory Allowance
(1)	(2)	(3)
(i)	Cities of Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Noida, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Navi Mumbai, Hyderabad, Bengaluru and other cities with population of 45 lakhs and above.	3% of Pay, subject to the minimum of Rs. 345/- per month and the maximum of Rs. 1055/- per month.
(ii)	Cities with population exceeding 12 lakhs, but less than 45 lakhs and, except those mentioned at Sl. No. (i) and any city in the State of Goa.	2.5% of Pay, subject to the minimum of Rs. 285/- per month and the maximum of Rs. 990/- per month .
(iii)	Cities with population of five lakhs and above but not exceeding twelve lakhs, State Capitals with population not exceeding twelve lakhs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, and Panchkula.	2% of Pay subject to the minimum of Rs. 210/- per month and the maximum of Rs. 850/- per month

Provided that where any Class III or Class IV employee is in receipt of an amount of Rs.20 per month as city compensatory allowance immediately before the first day of April, 1983, such employee shall continue to receive the said amount so long as he is posted at the same place, to be absorbed in future wage revision.

Note.— for the purpose of this rule,—

(i) the population figures shall be as per the latest Census Report;

(ii) cities shall include their urban agglomerations; and

(iii)"pay" means Basic Pay, Additions to Basic Pay under Rule 7 and Special Allowance payable to Class IV under sub-rule(2) (a) of Rule 6.'.

7. For rule 11 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely :-

"11. Hill Allowance.— The scales of Hill Allowance payable to Class III and Class IV employees shall be as follows :-

Serial Number	Places	Rates
(1)	(2)	(3)
1.	Posted at placed situated at a height of 1,500 meters and over above mean sea level	at the rate of 2.5% of Basic Pay subject to maximum of Rs.615/- per month
2.	Posted at places situated at a height of 1,000 meters and over but less than 1,500 meters above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as 'Hill Stations' by Central or State Governments for their employees.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.485/- per month
3.	Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with height of 1000 meters and over above mean sea level.	at the rate of 2% of Basic Pay subject to maximum of Rs.485/- per month".

8. In rule 19A of the principal rules, in sub-rule (b),—

   (i) in clause (i), for the letters and figures "Rs 320/-" the letters and figures "Rs 535/-" shall be substituted;

   (ii) in clause (ii), in sub-clause (a), for the letters and figures "Rs 530/-" the letters and figures "Rs 1000/-" shall be substituted;

   (iii) in clause (ii) in sub-clause (b) for the letters and figures "Rs 270/-" the letters and figures "Rs 510/-" shall be substituted;

   (iv) in clause (ii), in sub-clause(c) for the letters and figures "Rs 530/-" the letters and figures "Rs 1000/-" shall be substituted;

9. In rule 19E of the principal rules, for the letters and figures "Rs.275/-" the letters and figures "Rs.460/-" shall be substituted.

10. In rule 19F of the principal rules, for the letters and figures "Rs 110/-" the letters and figures "Rs 185/-" shall be substituted .

[F. No. S-11012/01/2013-Ins. I]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

6. The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of employees of Life Insurance Corporation of India with effect from the dates specified in the notification. The Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

7. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R.357(E) dated the 11th April, 1985 and subsequently amended vide G.S.R.18(E), dated the 7th January, 1986; G.S.R.1076(E), dated the 11th September, 1986; G.S.R.961(E), dated the 7th December, 1987; G.S.R.870(E) and 873(E) both dated the 22nd August, 1988; G.S.R.515(E), dated the 12th May, 1989; G.S.R.509(E), dated the 24th May, 1990; G.S.R.620(E), dated the 6th July, 1990; G.S.R.628(E), dated the 10th July, 1990; G.S.R.338(E), dated the 11th July, 1991; G.S.R.697(E), dated the 25th November, 1991; G.S.R.46(E) and 47(E) both dated the 4th February, 1993; G.S.R.746(E), dated the 13th December, 1993; G.S.R.55(E), dated the 2nd February, 1994; G.S.R.595(E), dated the 30th June, 1995; G.S.R.669(E), dated the 27th September, 1995; G.S.R.96(E), dated the 16th February, 1996; G.S.R.102(E), dated the 22nd February, 1996; G.S.R.261(E), dated the 22nd May, 1998; G.S.R.532(E), dated the 27th August, 1998; G.S.R.445(E), dated the 18th June, 1999; G.S.R.611(E), dated the 30th August, 1999; G.S.R. 552(E), dated the 22nd June, 2000; G.S.R. 289(E), dated the 27th April,2004; G.S.R. 561(E), dated the 5th September, 2005; G.S.R. 306 (E), dated the 25th April,2007; G.S.R. 72 (E), dated the 6th February, 2008 and G.S.R.826 (E),dated 8th October, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 31(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2016, है।

(2) ये 1 अगस्त, 2012 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) ये नियम उन सभी कर्मचारियों को लागू होंगे, जो 1 अगस्त 2012 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे:

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम 1988 में, नियम 2 में,-

(क) दूसरे और तीसरे परंतुक में, “2007” अंको के स्थान पर, “2012” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) स्तंभ संख्या (2) और (3) के अधीन, सारणी में “13700/- रूपए" अंको और अक्षर के स्थान पर “26000/- रूपए” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

[फा. सं. एस-11012/01/2013-बीमा-I]

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को संदेय विशेष क्षेत्र भत्ते को 1 अगस्त 2012 से पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार उस तारीख से भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम, 1988 का संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना नहीं है।

टिप्पण : भारत का राजपत्र, असाधारण में मूल नियम सा.का.नि.सं.492 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं 934(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 1989; सा.का.नि.सं. 322(अ), तारीख 10 मार्च, 1992; सा.का.नि. सं. 555(अ), तारीख 22 जून, 2000; सा.का.नि. सं. 818(अ), तारीख 2 नवंबर, 2001; सा.का.नि. सं. 562(अ), तारीख 5 सितंबर, 2005 और सा.का.नि.सं. 827(ई) तारीख 8 अक्तूबर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

G.S.R. 31(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2012.

(3) These rules shall be applicable to all employees who were in the whole time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August, 2012.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988, in rule 2,—

(a) in second and third provisos, for the figures “2007” the figures “2012” shall be substituted;

(b) in Table in the heading under columns (2) and (3), for the letters and figures “Rs.13700” the letters and figures “Rs.26000“ shall be substituted;

[F. No. S-11012/01/2013-Ins. I]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the Scales of Pay of the employees of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st August, 2012. The Life Insurance Corporation of India (Special Area Allowance) Rules, 1988 are being amended accordingly with effect from that date.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R.492(E),dated the 22nd April,1988 and subsequently amended vide G.S.R.934(E), dated the 27th October, 1989; G.S.R.322(E),dated the 10th March,1992; G.S.R. 555(E), dated the 22nd June, 2000; G.S.R. 818(E), dated the 2nd November,2001; G.S.R. 562(E), dated the 5th September, 2005 and G.S.R.827(E), dated 8th October, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 32(अ).—केंद्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम 2016 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 2012 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(3) ये नियम उन वर्ग 3 कर्मचारियों को लागू होंगे, जो 1 अगस्त, 2012 को या उसके पश्चात निगम के स्थायी स्थापन में पूर्णकालिक वैतनिक सेवा में थे :

परंतु ऐसे वर्ग 3 कर्मचारी, 1 अगस्त, 2012 में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान जिनके त्याग पत्र स्वीकार किए जा चुके हैं या जिनकी सेवाएं भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 के नियम 39 के अधीन, समाप्त कर दी गई है, पुनरीक्षण के कारण बकायों के लिए पात्र नहीं होगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) नियम, 1988 के नियम 2 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम.सं	वृत्तिक/तकनीकी परीक्षा	विशेष भत्ता
(1)	(2)	(3)
i	भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई की परीक्षा: (क) लाईसेन्सियेट (ख) असोशिएटशिप (ग़) अध्येतावृत्ति	(क) 340/- रुपए प्रतिमास (ख) 925/- रुपए प्रतिमास (ग) 1585/- रुपए प्रतिमास
ii	इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी, लंदन की परीक्षा ।	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर 340/- रुपए प्रतिमास

iii	भारतीय एक्युअरियल सोसायटी की परीक्षाएं।	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर 340/- रुपए प्रतिमास
iv	भारतीय चार्टर्ड अकाऊन्टेंट संस्थान तथा भारतीय लागत और संकर्म अकाउन्टेंट संस्थान की परीक्षाएं : (क) इंटरमीडिएट (ख) अंतिम समूह 'क' या 'ख' (ग) अंतिम समूह 'क' और 'ख'	(क) 665/- रुपए प्रतिमास (ख) 1135/- रुपए प्रतिमास (ग) 1585/- रुपए प्रतिमास
v	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कारबार प्रशासन में मास्टर	1585/- रुपए प्रतिमास
vi	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की अंतिम परीक्षा पास करने पर।	1585/- रुपए प्रतिमास"

[फा. सं. एस-11012/01/2013–बीमा-I]

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केंद्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को कतिपय विनिर्दिष्ट परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्तों का संदाय करने के नियमों को 1 अगस्त, 2012 से पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: भारत का राजपत्र, असाधारण में मूल नियम सा.का.नि.सं. 491(अ), तारीख 22 अप्रैल, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि.सं. 516(अ), तारीख 12 मई, 1989; सा.का.नि.सं. 621(अ), तारीख 6 जुलाई 1990; सा.का.नि.सं. 339(अ), तारीख 11 जुलाई, 1991; सा.का.नि.सं. 109(अ), तारीख 1 मार्च 1996; सा.का.नि.सं. 556(अ), तारीख 22 जून 2000; सा.का.नि.सं. 56 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2002; सा.का.नि.सं. 563 (अ), तारीख 5 सितंबर, 2005 और सा.का.नि.सं. 828 (अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Rules, 1988, namely:—

1. (1)These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III Employees (Special Allowance for Passing Examination) Amendment Rules, 2016.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 2012.

   (3) These rules shall be applicable to those class III employees who were in the whole-time salaried service in the permanent establishment of the Corporation as on or after the 1st August 2012:

   Provided that the Class III employees, whose resignation have been accepted or whose services had been terminated under Rule 39 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 during the period from the 1st August 2012 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, shall not be eligible for arrears on account of revision.

2. In the Life Insurance Corporation of India Class III employees (Special Allowance for passing Examinations) Rules 1988, in rule 2, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Sr.No.	**Professional/Technical Examination**	Special Allowance
(1)	**(2)**	(3)
i	Examination of the Insurance Institute of India, Mumbai: (a) Licentiate (b) Associateship (c) Fellowship	(a) Rs. 340/- per month. (b) Rs. 925/- per month. (c) Rs. 1585/- per month.
ii	Examination of the Institute of Actuaries, London.	Rs. 340/- per month on passing each subject.
iii	Examinations of the Actuarial Society of India.	Rs. 340/- per month on passing each subject.
iv	Examinations of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Works and Accountants of India: (a) Intermediate (b) Final Group `A' or `B' (c) Final Group `A' and `B'	(a) Rs.665/- per month. (b) Rs.1135/- per month. (c) Rs.1585/- per month.
v	Master of Business Administration of a recognised University/ Institution.	Rs.1585/- per month.
vi	On passing Final Examination of the Institute of Company Secretaries of India.	Rs.1585/- per month".

[F. No. S-11012/01/2013-Ins. I]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the rules for payment of Special Allowance for passing certain specified examination being paid to the employees of the Life Insurance Corporation of India with effect from the 1st day of August 2012.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 491(E), dated the 22nd April 1988 and subsequently amended vide G.S.R. 516(E) dated the 12th May1989; G.S.R 621(E), dated the 6th July1990; G.S.R. 339(E), dated the11th July,1991; G.S.R. 109(E), dated the 1st March1996; G.S.R. 556(E), dated the 22nd June, 2000; G.S.R. 56(E), dated the 22nd January 2002; G.S.R. 563(E), dated the 5th September, 2005 and G.S.R. 828(E), dated the 8th October, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.